जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह –उपायुक्त का कार्यालय , सरायकेला–खरसावॉ
(जिला निर्वाचन शाखा)

:: आदेश ::

आगामी नगर निकाय निर्वाचन - २००८ के सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार समुचित एवं सुचारू रूप से ससमय सम्पादन कराने के लिए वर्तमान में निम्न कोषांगों का गठन किया जाता है ।

१. नगर निकाय निर्वाचन एवं जिला निर्वाचन ओदश कोषांग (जिला निर्वाचन शाखा में)

२. कार्मिक कोषांग एवं ऑकड़ा संग्रह कोषांग (जिला स्थापना शाखा में)

३. वाहन कोषांग (मेसो कार्यालय में)

४. विधि व्यवस्था एवं आचार संहिता कोषांग, मिडिया / प्रेक्षक सह हेल्पलाईन कोषांग,सफाई एवं पेयजल कोषांग (जिला गोपनीय शाखा में)

५. सामग्री एवं ई०भी०एम० कोषांग (विकास भवन निचला तल्ला में)

६. प्रशिक्षण कोषांग (जिला ग्रमीण विकास अभिकरण में)

७. बज्र गृह कोषांग (जिला कोषागार में)

श्री अरविन्द कुमार सिंह उप विकास आयुक्त , सरायकेला–खरसावॉ इन सभी कोषांगों के निर्वाचन संचालन के वरीय प्रभार में रहेंगे। श्री सिंह इनके बीच समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य सम्पादित कराने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं।

इन सभी कोषांग से संलग्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारी की विवरणी निम्न प्रकार से है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

नगर निकाय निर्वाचन सह जिला आदेश कोषांग

ϖ **निर्वाचन कोशांग :–**

वरीय प्रभारी पदाधिकारी श्री पुनई उराँव, अपर समाहर्ता, सरायकेला–खरसावॉ रहेगें। निर्वाचन कोषांगों के अंतर्गत निम्नांकित पदाधिकारी एंव प्रकोष्ठ कार्यरत रहेंगे :–

१. श्री नवीन कुमार, उप समाहर्ता निर्वाचन, सरायकेला–खरसावाँ
२. श्री वीरेन्द्र कुमार चौबे , प्रभारी पदा०, निर्वाचन,सरायकेला–खरसावाँ
३. श्री प्रभाकर पाथाल ,लिपिक, निर्वाचन शाखा
४. श्री शिवचरण पति , लिपिक , निर्वाचन शाखा
५. श्री शंकर गोप , लिपिक, सामान्य शाखा
६. श्री कुमुदमाधव आचार्या , लिपिक, सामान्य शाखा
७. श्री तपन कुमार , कम्प्युटर चालक, पंचायत शाखा एवं निर्वाचन शाखा
८. श्री उतम कुमार , अनुसेवी–सह–जेरोक्स चालक , निर्वाचन शाखा
९. श्री सुजय कुमार लायेक , जेनरेटर चालक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
१०. श्री शेखर सतपथी, अनुसेवी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

लगातर.........२

इस कोषांगों का मुख्य कार्य निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, समन्वय एंव जिला स्तर पर निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार, पत्रों का निर्धारण एंव निशपादन करना होगा। इस कोषांगों के द्वारा निम्नांकित कार्य किये जायेंगे :-

१. नगर निकाय निर्वाचन हेतु यह कोषांग सभी कोषांग में समन्वय स्थापित करेगा एवं आवश्यक निदेश निर्गत करेगा ।

२. जिला नगर निकाय निर्वाचन में प्राप्त सभी पत्र , परिपत्र , आदेश , निर्देश आदि सभी सम्बन्धित कोषांगों को उपलब्ध करायेगा।

३. यह कोषांग जिला निर्वाचन शाखा में चलेगा।

४. सभी कोषांगों के लिए आवश्यक सामग्री जिला नजारत के सहयोग से उनके मांग पर आपूर्ति करेगी एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

५. निर्वाचन कैलेन्डर तैयार करेगा ।

६. जिला आदेश नगर निकाय निर्वाचन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेगा।

७. मतदान केन्द्रवार निर्वाचन सूची विच्छेदन एवं नजरी नक्शा आदि तैयार करने हेतु संबंधित विशेष पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देगा ।

८. राज्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक आदेश निर्वाचन परिपत्र एवं कार्य योजना संबंधी संकलित कर किताब तैयार करना।

९. सभी कोषांगों से निर्वाचन संबंधी ऑकड़े प्राप्त कर निर्वाचन आदेश में समावेश करेगा।

१०. नगर निकाय निर्वाचन से संबंधित पोस्टर एवं पम्पलेटों की जाँच करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

११. निर्वाचन अभ्यर्थियों की सभाओं ,वाहन की संख्या ,प्रचार सामग्री का व्यौरा रखना । (निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर संधारित)

१२. बडे राजनेताओं इत्यादि की सभाओं की विडियोग्राफी करना (निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर संधारित)

१३. राज्य स्तरीय प्रेक्षकों से समन्वय करना एवं निदेशों का पालन करना ।

१४. राज्य निर्वाचन आयोग से आए सभी प्रक्षकों/वरीय पदाधिकारी को रूट चार्ट ,नक्सा ,मतदान केन्द्र की सूची एवं अन्य सूचनाएँ उपलब्ध करायेगा ।

<u>(क) मीडिया प्रकोष्ठ :-</u>

श्री नवीन कुमार कार्यपालक दण्डाधिकारी -सह- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ इस प्रकोष्ठ के प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संबंधी सभी प्रकार के विज्ञापनों का समाचार पत्रों में प्रकाषन करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रचार-प्रसार, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेषों के अनुरूप Press Conference की सामग्री तैयार कर Press Conference करना होगा। प्रेस एंव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अभ्यर्थियों के शपथ - पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा। नगर निकाय निर्वाचन सम्बन्धी सभी जानकारी एवं ऑकड़ा संकलित कर प्रेस को देना। राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शिका के अनुरूप कॉनफ्रेन्स आदि व्यवस्था करना।

प्रतिनियुक्त सहायक - १. लिपिक, जिला सूचना जनसम्पर्क कार्यालय
अनुसेवी - अनुसेवक जिला सूचना जनसम्पर्क कार्यालय

लगातार ३

(घ) चुनाव लेखा प्रकोष्ठ :-

इस प्रकोश्ठ के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में श्री शुभ्रकान्ति दा, जिला योजना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ रहेंगे तथा उनके सहायोग के लिए श्री विशकेशन सतपथी, कार्यालय अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ रहेंगे । इस प्रकोष्ठ का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देषों के आलोक में अभ्यर्थियों के व्यय पंजी की जाँच करना होगा एंव प्रतिवेदन निर्वाचन प्रकोष्ठ को हस्तगत कराना होगा। अभ्यर्थियेां के प्रयोग में आनेवाली सामग्रियों का प्रचलित मूल्य तालिका प्रेक्षक के लिये
तैयार करना एंव प्रचलित मूल्य तालिका के अनुसार अभ्यर्थियेां के व्यय पंजी की जाँच करना होगा। व्यय पंजी की जाँच के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देष के आलोक में तिथियाँ निर्धारित करना होगा। निर्वाचन कन्टीजेन्सी भी निर्वाचन दल को दिया जाएगा ।
स्थान - भविष्य निधि कार्यालय।
भविष्य निधि कार्यालय के तीन सहायकों एंव एक अनुसेवी की इसमें प्रतिनियुक्त रहेंगे ।

कार्मिक कोषांग सह ऑकडा संग्रह कोषांग

श्री चन्द्र किशोर मण्डल ,स्थापना उप समाहर्त्ता, सरायकेला-खरसावॅा इस कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी रहेगें। इस कोषांग में निम्नांकित पदाधिकारी एंव प्रकोष्ठ रहेंगे :-

१. श्री एम०एस०खान, नोडेल पदाधिकारी, एन०आई०सी०,सरायकेला-खरसावाँ
२. श्री बालेश्वर साहनी , जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ
३. श्री बाल्मीकि प्रसाद , प्र०शि०प्र०पदा०, गम्हरिया
४. श्री अजित महतो, लिपिक, स्थापना शाखा
५. श्री भुजंग भूषण महतो, लिपिक, स्थापना शाखा
६. श्री गंगाराम विरूली, लिपिक आपूर्ति शाखा
७. नारायण मांझी, अनुसेवी , कल्याण शाखा
८. श्रीमति बबिता कान्डेयांग , कम्प्युटर चालक , विकास शाखा
९. सपन कुमार सतपथी, कम्प्युटर चालक, एन०आई०सी०, सरायकेला
१०. श्री महेन्द्र सरदार, अनुसेवी ,स्थापना शाखा
११. श्रीमति मंझारी देवी, अनुसेवी, स्थापना शाखा
१२. श्रीमति सोरो देवी, अनुसेवी, स्थापना शाखा

कार्यः-

१. इस जिले के झारखण्ड सरकार के कार्यरत सभी कार्यालयों में (कुचाई, ईचागढ़ एंव नीमडीह प्रखण्ड क्षेत्र छोड़कर) कार्यरत एवं पदस्थापित पदा०/कर्मचारियों की सूची प्राप्त करना है जिला में उपलब्ध पदा०/कर्मचारी का वेतनवार सूची एवं संख्या कम्प्युट्रीकृत कर तैयार करना है।
२. मतदान के लिए नगर निकाय निर्वाचन हेतु नगर पंचायत सरायकेला (१० मतदान केन्द्र) नगर पर्षद आदित्यपुर (१११ मतदान केन्द्र) कुल १२१ मतदान केन्द्र के लिए मतदान केन्द्र पर मतदान दल अर्थात पीठासीन पदा० तथा मतदान पदा० की नियुक्ति तथा २०ः सुरक्षित मतदान दलों का गठन करना।

लगातार ४

३. मतगणना स्थल पर मतगणना के लिए ई०भी०एम० प्राप्त करने , बज्रगृह, मतगणना पर्यवेक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा ।
४. मतगणना स्थल पर सुरक्षा हेतु दण्डाधिकारियों की नियुक्ति करेगा ।
५. जिला नगर निकाय निर्वाचन आदेश हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेगा।
६. गस्ती दल सह ई०भी०एम० संग्रह दल हेतु दण्डाधिकारियों की नियुक्ति करना।
७. यह कोषांग गस्ती दल के लिए रूट चार्ट भी तैयार करेगा एवं सामग्री शाखा तथा वाहन कोषांक को उपलब्ध करायेगा ।
८. कार्मियों की नियुक्ति पत्र की तामिला कार्यालय प्रधान के माध्यम से करायेगा।
९. विकेन्द्रीकृत तरीके से अंतिम नियुक्ति पत्र तैयार करना।
१०. कर्मचारी संघों के साथ बैठक करना।
११. इनश्योरेन्स क्लेम का निपटारा करना।
१२. यह कोषांग नगर निकाय निर्वाचन के सभी नवीनतम ऑकड़े , आदेश एवं निर्देश संग्रहित करेगा और नगर निकाय निर्वाचन कोषांग सहित सभी संबंधित कोषांग को उपलब्ध करायेगा।
१३. यह कोषांग सुनिश्चित करेगा कि प्रखण्ड स्तरीय , अनुमण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय कोषांग ,, वरीय पदाधिकारी के चालक एवं अनुसेवी, विकलांग एवं असक्षम व्यक्ति , मतदान दल आदि गठन में न शामिल हों ।
१४. मतदान दल के गठन के समय यह सुनिश्चित करेगा की कनीय पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी न बनें । प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लिया जाय ।
१५. प्रयुक्त होनेवाली सामग्री एवं प्रपत्र की मांग नगर निकाय निर्वाचन कोषांग से ससमय कर ली जाय एवं प्राप्त कर ली जाय ।
१६. जोनल एंव सबजोनल पदाधिकारियों की नियुक्ति भी इसी कोषांग द्वारा किया जायगा। अग्रिम यात्रा भत्ता की गणना कार्मिक कोषांग द्वारा विभागवार की जाएगी। चेक जिला नजारत द्वारा तैयार किया जाएगा। चेक का वितरण कार्मिक कोषांग द्वारा किया जाएगा। कर्मचारीयों एवं अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से संलग्न है ।

(क) प्रशिक्षण प्रकोष्ठ :- इस प्रकोष्ठ के वरीय प्रभार में श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावॉ होंगे। उनके सहयोग के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

१. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा, डी०सी०एल०आर०, सरायकेला
२. श्री सुब्रकांती दा, जिला योजना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावॉ
३. श्री लालमोहन महतो, अंचल अधिकारी, गम्हरिया
४. श्री रजनीकांत मिश्रा, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, गम्हरिया
५. श्री प्रमोद कुमार, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, खरसावाँ
६. श्री मुरलीधर सांरगी, सहायक षिक्षक, उड़िया मध्य विद्यालय, सरायकेला
७. श्री निरंजन सुतार, अनुसेवी, छउ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला
८. चार अनुसेवी जिला शिक्षा कार्यालय से ।

लगातार ५

इस प्रकोष्ट का कार्य जिला, अनुमंडल , प्रखण्ड के पदाधिकारियों , पर्यवेक्षकों तथा मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सभी मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण देना होगा । प्रषिक्षण के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक आवष्यकतानुसार अलग से शिक्षक प्रतिनियुक्त करेंगे। मतदान कर्मियों E.V.M का Hand –on-Set प्रशिक्षण देकर उनको प्रमाण पत्र देना है कि उनको Hand –on-Set प्रशिक्षण दिया गया । राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों , निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को E.V.M का प्रशिक्षण देना इस कोषांग का दायित्व होगा । मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण इसी कोषांग द्वारा दिया जाएगा । सभी मतदान कर्मियों /राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण के उपरान्त यहाँ प्रमाण पत्र लेना होगा कि उन्होंने E.V.M का प्रशिक्षण प्राप्त किया । अतिरिक्त
पदाधिकारियों एंव कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति आदेष हेतु कार्मिक कोशांग से मांग करेंगे। प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार करेगा। प्रखण्ड, पंचायत स्तर, शिक्षण संस्थानों एंव अन्य केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यालयों में प्रशिक्षण देगा। जिला नगर निकाय निर्वाचन आदेश हेतु दर्शनीय स्थल एंव अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेगा। प्रयुक्त होनेवाली सामग्री एंव प्रपत्र की मांग मानक नमूना सहित निर्वाचन कोशांग से समन्वय स्थापित कर ससमय कर ली जाय एंव प्राप्त कर ली जाय। प्रतिदिन अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से वरीय प्रभारी निर्वाचन को अवगत करायेंगे।

लगातार ६

वाहन कोषांग

इस कोषांग के वरीय पदाधिकारी श्री बीरू उराँव, परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र, सरायकेला रहेंगे।

१. श्री रविन्द्र कुमार सिंह, सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ
२. श्री सुधाकार प्रसाद श्रीवास्तव, जिला गव्य विकास पदा०,सरायकेला-खरसावाँ
३. श्री संगीत कुमार मिश्र , सहायक अभियंता, मेसा क्षेत्र सरायकेला
४. श्री निसार अहमद, सचिव, लैम्पस सरायकेला
५. श्री शिवशंकर ठाकुर, प्रसार पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए०,सरायकेला-खरसावाँ
५. श्री बंसत कुमार सिंह, लिपिक, मेसो कार्यालय,सरायकेला
६. श्री राधा गोविन्द महतो, लिपिक, मेसो कार्यालय,सरायकेला
७. श्री सुरत महतो, लिपिक ,मेसो कार्यालय, सरायकेला
८. श्री रंजन कुमार , कम्प्युटर चालक, मेसो कार्यालय, सरायकेला
९. श्री दुर्गा चरण पति, अनुसेवी० मेसो कार्यालय , सरायकेला
१०. श्री सुनील उराँव, अनुसेवी, मेसो कार्यालय, सरायकेला
११. श्री मंगलु मुखी, अनुसेवी, मेसो कार्यालय , सरायकेला

कार्य :-

१. मतदान दल , गस्ती दल / सेक्टर प्रभारी एवं चुनाव के लिए बड़े एवं छोटे वाहनों की विभिन्न सरकारी विभागों एवं निजी संस्थानों से अधियाचित करना।
२. अधियाचित पत्र भेजना एवं आवश्यकतानुसार सभी प्रखण्डो को वाहन उपलब्ध करना। सभी सरकारी कार्यालय के वाहनों का आकलन करना और आवश्यकतानुसार अधिगृहित करने का कार्य इस कोषांग का होगा।
३. वाहन की ईधन की गणना , अग्रिम की गणना , राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित / मानक के अनुरूप कार्रवाई करना।
४. मतदान के पश्चात सभी वाहन को विमुक्त करने के पूर्व अवशेष भुगतेय राशि की गणना करना एवं समायोजन कर शेष का भुगतान करना।
५. सभी प्रकार के लॉग बुक , प्रपत्र पंजी आदि का आकलन कर प्रतिवेदन देना।
६. सभी प्रखण्डों एवं अनुमण्डल कार्यालय,चाण्डिल से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग करेगा और यह सुनिश्चित करेगा की अनावश्यक वाहनों का अदान-प्रदान न हो।
७. वाहन, सामग्री , मतदान दल एवं गस्ती दल का अन्तिम प्रस्थान प्रखण्ड मुख्यालय से ही होगा , तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा ।
८. प्रयुक्त होनेवाली सामग्री एवं प्रपत्र की मांग पंचायत निर्वाचन कोषांग से ससमय कर ली जाय एवं प्राप्त कर ली जाय।

लगातार ७

विधि व्यवस्था एवं आचार संहिता कोषांग सह प्रेक्षक सह हेल्पलाईन कोषांग

१. श्री अनुज कुमार प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी, सरायकेला-खरसावॉ(वरीय प्रभार)
२. श्री अगापित टेटे, जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ
३. श्री चन्द्रभुषन सिंह , अंचल अधिकारी, सरायकेला
४. श्री शिव प्रसाद लायक , आशुलिपिक , गोपनीय शाखा
५. श्री नवीन कुमार, लिपिक, गोपनीय शाखा
६. श्री तपन पटनायक, निदेशक, छऊ नृत्य कला केन्द्र,सरायकेला-खरसावा
७. श्री आलोक कुमार नन्दा, लिपिक , सामान्य शाखा
८. श्री अमन प्रकाश, लिपिक, गोपनीय शाखा
९. श्री चन्द्रिका भगत, लिपिक, अवर जन सम्पर्क कार्या०,सरायकेला
१०. श्री सोनाराम महतो, अनुसेवी, गोपनीय शाखा
११. श्री भीम प्रसाद उपाध्याय,अनुसेवी गोपनीय शाखा
१२. श्री रवि चन्द्र राम , अनुसेवी गोपनीय शाखा
१३. श्री लालबाबु महतो, अनुसेवी गोपनीय शाखा
१४. श्रीमति सुशिला तिर्की , कम्प्युटर चालक, स्थापना शाखा
१५. श्री उपेन्द्र महन्ता, कम्प्युटर चालक, गोपनीय शाखा

कार्य :-

१. यह कोषांग मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता की सूची तैयार करेगा तद्नुसार नक्सा तैयार करेगा ।
२. बल की उपलब्धता के आधार पर आदेश निर्गत करेगा।
३. जोनल / सेक्टर / पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति आदि आदेश निर्गत करने हेतु सामग्री के साथ कार्मिक को सहयोग करेगा ।
४. राज्य स्तरीय प्रेक्षक की आवश्यकता पर आधारित प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराएगा।
५. पुलिस अधीक्षक / अनुमण्डल पदाधिकारी,सरायकेला/ चाण्डिल / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से प्रतिदिन समन्वय स्थापित कर मतदान, मतगणना एवं सामान्य विधि व्यवस्था हेतु कार्रवाई करेगा।
६. पुलिस अधीक्षक / अनुमण्डल पदाधिकारी से **Preventive** एक्सन हेतु समन्वय स्थापित करेगा ।
7- **Excise** एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेगा।
८. पुलिस बल सहित होमगार्ड /चौकीदार / दलपति / ग्राम रक्षादल आदि की प्रतिनियुक्ति कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगा।
९. विधि व्यवस्था संबंधी प्रतिदिन का प्रतिवेदन भेजेगा ।

लगातार ८

१०. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत सभी निर्देशों को सभी राजनैतिक दल/ अभ्यर्थियों / तत्संबंधी अन्य व्यक्ति तथा सभी कोषांगों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं इसके लिए अन्तरिक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना ।

११. गेस्ट हाउस / सभा मैदान का आरक्षण सुनिश्चित करना ।

१२. आचार संहिता एवं विधि व्यवस्था संबंधी उप कोषांग सभी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत रहेगा ।

१३. राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का उलंघन करने वालों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

१४. राज्य निर्वाचन आयोग से आए सभी प्रेक्षकों /वरीय पदाधिकारी को रूट चार्ट , नक्सा , मतदान केन्द्र की सूची एवं अन्य सूचनाएँ उपलब्ध करायेगा ।

१५. आर्मस भेरीफिकेशन , गैर जमानती वारंट एवं **Illicit Arms** के संबंध में कार्रवाई करेगा।

१६. यह कोषांग गोपनीय शाखा प्रकोष में चलेगा।

१७. प्रेक्षक एवं वरीय पदाधिकारी के टुर प्रोग्राम मिडिया में प्रकाशन, टुर प्रोग्राम के अनुरूप पुलिस अधीक्षक, मार्ग के अनुरूप **Receiving** एवं **See off** करना । स्थानीय भ्रमण के अनुरूप वाहन सुरक्षा आदि सुनिश्चित करना ।

सामग्री कोषांग एवं ई०भी०एम० कोषांग

इस कोषांग के वरीय पदाधिकारी श्री नेसार अहमद, सहायक परियोजना पदाधिकारी सरायकेला-खरसावॉ रहेंगे। इनके सहायतार्थ निम्नांकित पदाधिकारियों एंव कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

१. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा , डी०सी०एल०आर ,सरायकेला-खरसावॉ

२. श्री नवीन कुमार ,कार्यपालक दण्डाधिकारी ,सरायकेला-खरसावॉ

३. श्री टी०पी० हासंदा, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावॉ

४. श्री सुधाकार प्रसाद श्रीवास्तव, जिला गव्य विकास पदा०,सरायकेला-खरसावाँ

५. श्री प्रमोद कुमार , ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, खरसावाँ

६. श्री श्याम सुन्दर कामिला , लिपिक , सरायकेला नगरपालिका

७. श्री पंकज कुमार पति , लिपिक , सरायकेला नगरपालिका

८. श्री आहलाद कुमार मोहन्ती , कर दारोगा , सरायकेला नगरपालिका

९. श्री मलय कुमार माहन्ती , कर वसूलीकर्ता , सरायकेला नगरपालिका

१०. श्री यशबंत वोसा, कर वसूलीकर्ता , सरायकेला नगरपालिका

११. श्री परमेश्वर पटनायक , अनुसेवी , सरायकेला नगरपालिका

१२. श्री मुरलीधर महापात्र , अनुसेवी , सरायकेला नगरपालिका

१३. श्री अश्वनी रजक, अनुसेवी , सरायकेला नगरपालिका

लगातार ९

कार्य :-

१. जिला नगर निकाय निर्वाचन कार्यालय से मतदान केन्द्रों की सूची सहित मतदान दल को दिये जाने वाले सभी सामग्रीयों को मतदान केन्द्रवार व्यवस्थित करेगा

२. मतदाता सूची का विखण्डीकरण कर मतदान केन्द्रवार पॉच-पॉच प्रतियॉ तैयार करना जिला मुख्यालय में। इसके प्रभार में श्री भवानंद मंडल, विशेष पदाधिकारी, अक्षेस, आदित्यपुर एंव श्री आर०के०चौधरी, विशेष पदाधिकारी, नगर पंचायत सरायकेला होंगे।

३. यह कोषांग नामांकन हेतु विशेष पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची सभी निर्वाची पदाधिकारी को दो-दो प्रतियों में उपलब्ध कराएगा ।

४. सामग्री / ई०भी०एम० / मतदाता सूची आदि रिसिभिंग हेतु ‍ (पीठासीन पदा०/ पोलिंग दल) के नाम सहित पंजी संधारित की जायगी , इसकी व्यवस्था करायगा

५. नगर निकाय निर्वाचन आदेश हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेगा।

६. प्रयुक्त होनेवाली सामग्री एवं प्रपत्र की मांग मानक नमूना सहित नगर निकाय निर्वाचन कोषांग से समन्वय स्थापित कर ससमय कर ली जाय एवं प्राप्त कर ली जाय ।

८. E.V.M का रख रखाव सामग्री कोषांग द्वारा किया जाएगा । निर्वाची पदाधिकारियों को E.V.M सिलिंग के लिए E.V.M का आवंटन करना, प्रशिक्षण के लिए , प्रदर्शन के लिए E.V.M का आवंटन उपलब्ध कराना एवं E.V.M को Zero करना सामग्री कोषांग का दायित्व होगा ।

९. इस शाखा का मुख्य कार्य निर्वाचन में उपयोग आनेवाले प्रपत्रों , सामग्रियों का आंकलन कर अधियाचना करना, सामग्रियों को प्राप्त कर Common सामग्रियों का मतदान केन्द्रवार थैला तैयार करना Specific सामग्री का पैकेट मतदान केन्द्रवार तैयार किया जाएगा ।

लगातार १०

बज्रगृह कोषांग

१. श्री अरविन्द्र कुमार सिंह , उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ (वरीय प्रभार)

२. श्री सपूत लाल मेहरा , कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला

३. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला अनुमंडल

४. प्रधानाध्यापक, एन०आर०उच्च विद्यालय, सरायकेला

५. श्री मुरारी प्रसाद, अध्यापक, एन०आर०उच्च विद्यालय, सरायकेला

६. श्री प्रभुराम जी ,कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल

७. श्री संजय कुजुर , कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण

८. सहायक अभियंता, भवन निमार्ण

९. श्री मधुसुदन ठाकुर, लिपिक, कोषागार , सरायकेला-खरसावाँ

१०. श्री प्रवण कुमार मुखर्जी, प्रधान लिपिक, कोषागार , सरायकेला-खरसावाँ

११. श्री अशोक चौधरी , लिपिक, कोषागार, सरायकेला-खरसावाँ

१२. श्री सत्यनारायण सारंगी, लिपिक, कोषागार , सरायकेला-खरसावाँ

१३. श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव , स०शि० -सह-लेखा पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान

१४. श्रीमति संध्या प्रधान, स०शि०-सह- समन्वयक , सर्वशिक्षा अभियान,सरायकेला

१५. श्री हेमन्त घोडसेरा, लेखापाल , सर्वशिक्षा अभियान, सरायकेला

१६. श्री प्रदीप कुमार दास, ए०पी०ओ० सर्वशिक्षा अभियान, सरायकेला

१७. श्री अमर प्रकाश टुटी, ए०पी०ओ०, सर्वशिक्षा अभियान, सरायकेला

१८. श्री कुमार राज ,ए०पी०ओ०, सर्वशिक्षा अभियान,सरायकेला

१९. श्री उमेश सिन्हा , स०अभि०, सर्वशिक्षा अभियान, सरायकेला

२०. श्री सरोज कर, क०अभि० सर्वशिक्षा अभियान, सरायकेला

कार्य :-

१. सुरक्षित बज्रगृह निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

२. ई०भी०एम० एवं मतदान से संबंधित कागजातों एवं सामग्रियों का रख-रखाव, वितरण तथा मतदान के बाद प्राप्त कर सुरक्षित रखना ।

३. सभी बज्रगृह का ब्लूप्रिन्ट तैयार करना ।

४. नगर निकाय निर्वाचन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेगा।

५. प्रयुक्त होनेवाली सामग्री एवं प्रपत्र की मांग मानक नमूना सहित निर्वाचन कोषांग से समन्वय स्थापित कर ससमय कर ली जाय एवं प्राप्त कर ली जाय ।

६. प्रतिदिन अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगर निकाय)** को अवगत करायेंगे ।

लगातार ११

कोषांग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी वरीय पदाधिकारी, कोषांग के नियंत्रणाधीन रहेगें । सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य के लिए प्राधिकृत होगें

१. व्यय अभिश्रव, स्वीकृति आदेश की संचिका एवं अन्य संचिका निर्वाचनोपरान्त ससमय जिला नगर निकाय निर्वाचन शाखा को उपलब्ध करायेंगे ।
२. ईधन आपूर्ति नगर निकाय निर्वाचन शीर्ष से होगी एवं उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के अनुमोदन के अनुरूप होगी ।
३. वाहन से संबंधित चालक स्वतः वाहन के साथ प्रतिनियुक्त रहेंगे । इनके लिए विशेष परिस्थिति को छोड़कर अलग से कोई आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा ।
४. वरीय पदाधिकारी कोषांग के अनुमोदन पर ही आवश्यक सामग्री आपूर्ति की जायेगी ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगर निकाय)
-सह-
उपायुक्त , सरायकेला-खरसावॉ

ज्ञापांक ..../निर्वा० दिनांक ....

प्रतिलिपि :- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड राँची /आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ /उप विकास आयुक्त, सरायकेला -खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- सभी निर्वाची पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/सहायकों / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगर निकाय)
-सह-
उपायुक्त , सरायकेला-खरसावॉ